

परिशिष्ट



## परिशिष्ट—1.1

(संदर्भ: कंडिका—1.8.2; पृष्ठ—18)

**पंचायती राज संस्थाओं के संबंध में 5वीं राज्य वित्त आयोग की महत्वपूर्ण अनुशंसाएं और बिहार सरकार द्वारा इसके क्रियान्वयन की वर्तमान स्थिति को दर्शाती विवरणी**

क्रम सं.	कंडिका सं.	अनुशंसाएं	राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत करने की स्थिति	स्वीकृत करने के पश्चात् विभाग द्वारा की गई कार्रवाई।
1	8.11.1	ग्रा.पं, पं.स. एवं जि.प. के बीच प्रतिनिधियों का वितरण 70:10:20 में होगा।	स्वीकृत	ग्रा.पं, पं.स. एवं जि.प. के बीच प्रतिनिधियों का हस्तान्तरण 70:10:20 में किया जा रहा है।
2	9.13.1	जि.प. के कम से कम मौजूदा कर्मचारियों का वेतन उनके स्वयं के राजस्व से निर्वहन होना चाहिए। राज्य सरकार अधिक से अधिक बकाए भुगतान कर सकती है।	स्वीकृत	राशि का आवंटन इस मद में किया गया है।
3	9.13.2	मॉडल पंचायत संघर्ग के अनुसार मानव बल के लिए कर्णाकित धनराशि केवल नए और रिक्त पदों को भरने के लिए है, न कि मौजूदा कर्मचारियों के वेतन भुगतान आदि के लिए।	स्वीकृत	ग्राम पंचायत में कार्यपालक सहायक की नियुक्ति संविदा के आधार पर की गयी है।
4	9.13.3	ई—गवर्नेंस के लिए उपलब्ध राशि का उपयोग ई—पंचायत मोड़यूल के संचालन के लिए मिशन मोड में किया जाना है।	स्वीकृत	ई—गवर्नेंस हेतु धनराशि व्यय करने के निर्देश स्वीकृत्यादेश के माध्यम से दिए जा रहे हैं।
5	9.6.4	पं.रा.सं. के लिए समग्र निष्पादन अनुदान की राशि मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन योजना की पूरक होगी और इसे 70:10:20 स्वीकृत के अनुपात में ग्रा.पं, पं.स. एवं जि.प. में विभाजित किया जाएगा।	स्वीकृत	प्रक्रियाधीन है।
6	10.5.5	स्थानीय निधि लेखापरीक्षा निदेशालय को सुदृढ़ बनाना।	स्वीकृत	डी.एल.एफ.ए., बिहार, पटना वित्त (अंकेक्षण) विभाग के अंतर्गत कार्य करता है। डी.एल.एफ.ए. का सुदृढ़ीकरण वित्त (अंकेक्षण) विभाग द्वारा किया जाना है। पं.रा.स. की बड़ी संख्या को ध्यान में रखते हुए पं.रा.स. को सुदृढ़ करने की योजना बनाने के लिए पं.रा.वि. ने विभागीय पत्र सं 4255 दिनांक 04.07.2019 और पत्र सं 88 दिनांक 04.01.2019 के माध्यम से आग्रह किया है ताकि बड़ी संख्या में पं.रा.सं का समय पर लेखापरीक्षा किया जा सके।
7	10.9.13	स्थानीय निकायों की ओर से मनोरंजन कर पर 10 प्रतिशत का आधिभार लगाना और अधिभार का एक उचित हिस्सा पं.रा.सं के साथ साझा करना।	स्वीकृत	प्रक्रियाधीन है।
8	10.19.4	भ्रष्टाचार, कदाचार आदि के आरापों की जाँच के लिए पंचायतों के लिए अलग से लोकपाल को तत्काल प्रचालित करना।	स्वीकृत	लोकपाल की नियुक्ति नहीं की गई है लेकिन निरीक्षण एवं अनुश्रवण की व्यवस्था विभाग स्तर पर है।

क्रम सं.	कंडिका सं.	अनुशंसाएं	राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत करने की रिधिति	स्वीकृत करने के पश्चात् विभाग द्वारा की गई कार्रवाई।
9	10.6.6	<ul style="list-style-type: none"> <li>पंचायती राज विभाग, पंचायत वित्त की एक नियमावली तैयार करेगी एवं परिचालित करेगी।</li> <li>पं.रा.सं द्वारा करों के संग्रहण के लिए आवश्यक नियम और दिशा-निर्देश तैयार कर इसे परिचालित किया जाय।</li> <li>पंचायतों द्वारा स्वयं के राजस्व की वसूली को प्रोत्साहित किया जाय।</li> </ul>	स्वीकृत	बिहार पंचायत (ग्राम पंचायत, लेखापरीक्षा, बजट और कराधान) नियम प्रक्रियाधीन है।
10	2.4.9	<ul style="list-style-type: none"> <li>पंचायती राज विभाग द्वारा पंचायत राजस्व संग्रह का समग्र पर्यवेक्षण किया जाता है।</li> <li>कर और गैर-कर राजस्व दोनों के संग्रह की क्षमता में सुधार के साथ-साथ राजस्व वृद्धि के कदमों की निगरानी के लिए प्रस्तावित टी.एस.एस.पी.।</li> </ul>	स्वीकृत	प्रक्रियाधीन है।
11	6.2.1	ग्रा.पं साधारण दर पर भी संपत्ति कर लगाना शुरू कर देगी।	स्वीकृत	प्रक्रियाधीन है।
12	10.9.1	पं.रा.सं के लिए राजस्व लक्ष्य का निर्धारण एवं पं.रा. विभाग द्वारा उसकी अनुश्रवण।	स्वीकृत	प्रक्रियाधीन है।
13	10.9.11	राज्य सरकार पंचायतों को विज्ञापन पर कर वसूल करने का अधिकार देगा।	स्वीकृत	प्रक्रियाधीन है।
	गैर-कर	ग्रा.पं. से एकत्रित भू राजस्व की शुद्ध आय ग्रा.पं. को अंतरित की जाय।	स्वीकृत	प्रक्रियाधीन है।
14	2.3	अपेक्षित पेशेवर और तकनीकी मानव बल के लिए 5वीं राज्य वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित मॉडल पंचायत संवर्गों को लागू किया जाय।	स्वीकृत	ग्रा.पं. कार्यपालक सहायक की नियुक्ति संविदा के आधार पर किया गया है।
15	2.3.2(सी)	पी.डी.ओ. (और पी.डी.ओ. बहाली होने तक पंचायत सचिव) सभी ग्रा.पं. स्तर के संविदा कर्मचारियों (जैसे विकास मित्र, टोला सहायक, आई.ए.वाई. सहायक आदि) पर नियंत्रण रखेगा। इसके अलावे ऐसे कर्मचारी पी.एस.पी. में रखे मास्टर उपस्थिति पंजी पर हस्ताक्षर करेंगे।	स्वीकृत	पंचायत स्तर के स्टाफ के लिए विभाग द्वारा पत्र निर्गत किए जा चुके हैं।
16	2.2.5.4	योजना के लिए पंचायत के लिए प्लान प्लस और जी.आई.एस.मॉड्यूल का उपयोग कर एवं पेशेवर कर्मचारियों के साथ डी.पी.सी को प्रभावी एवं क्रियाशील बनाना।	स्वीकृत	प्लान प्लस का उपयोग जी.पी.डी.पी. के माध्यम से योजना बनाने में किया जा रहा है।
17	10.3.4	<p>पं.रा.सं को मैन्युल के अनुसार समय पर परिणाम आधारित बजट तैयार करना चाहिए, जो समुदायों की रणनीतिक प्राथमिकताओं को बढ़ावा देने वाली दीर्घकालिक और अन्यकालिक योजनाओं के अनुरुप होना चाहिए और नागरिकों के प्रतिक्रिया के लिए वेबसाइट पर अपलोड किया जाना चाहिए।</p> <p>स्वीकृत बजट में किसी प्रकार का घाटा नहीं दिखाया जाना चाहिए।</p>	स्वीकृत	ग्रा.पं. के पास राजस्व का कोई अपना श्रेष्ठ नहीं है अतः बजट तैयार नहीं किया जा सका। जबकि जी.पी.डी.पी. तैयार कर वेबसाइट पर अपलोड किया जा रहा है।

क्रम सं.	कंडिका सं.	अनुशंसाएं	राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत करने की रिधि	स्वीकृत करने के पश्चात् विभाग द्वारा की गई कार्रवाई।
18	10.4.10	<ul style="list-style-type: none"> <li>पंचायतों द्वारा खातों के रख रखाव के लिए पंचायती राज विभाग के पास पर्योक्षण और सहयोग करने के लिए एक मजबूत प्रणाली होनी चाहिए।</li> <li>स्थायी सुधार के लिए अंतरिम उपाय के रूप में सी.ए. (आंतरिक लेखापरीक्षक) को अनुबंधित करने के अलावे योग्य लेखाकारों को नियमित रूप से नियुक्त किया जाना चाहिए।</li> </ul>	स्वीकृत	पंचायती राज विभाग ने सितंबर 2019 में बिहार पंचायत लेखापरीक्षा सेवा में लेखा परीक्षकों के 373 पदों को मंजूरी दी है। लेखाकार—सह—आई.टी. सहायक को अनुबंध के आधार पर नियुक्त किया गया है।
19	10.4.9	सभी पं.रा.सं को तत्काल लेखांकन के लिए प्रियासॉफ्ट का उपयोग करना चाहिए और इसे लागू करने के लिए, राज्य सरकार सभी पं.रा.सं में तत्काल सूचना प्रौद्योगिकी सुविधा और नियमित लेखाकार उपलब्ध कराएगा।	स्वीकृत	वर्तमान में प्रियासॉफ्ट को बंद कर दिया गया है और बिहार के 12 जिलों में राज्य आधारित जी.पी.एम.एस. को पायलट प्राजेक्ट के रूप में अपनाया गया। लेखाकार—सह—आई.टी. सहायक को अनुबंध के आधार पर नियुक्त किया गया है।
20	10.19.1	<ul style="list-style-type: none"> <li>समुदाय को मुख्य परफॉरमेंस इंडिकेटर तैयार करने में शामिल करना चाहिए तथा वास्तविक उपलब्धि से समुदाय को अवगत कराना चाहिए।</li> <li>एस.एल.वी. को विभिन्न सेवाओं के लिए प्रचारित किया जाना चाहिए।</li> <li>सिटीजन चार्टर को नियमित रूप से अद्यतन और प्रसारित किया जाना चाहिए।</li> </ul>	स्वीकृत	जी.पी.डी.पी. तैयार कर इसका अनुपालन किया गया है।
21	2.5 और 2.5.1(ii)	ग्राम सभा, वार्ड सभा, स्थायी समितियों आदि की नियमित एवं उद्देश्यपूर्ण बैठकें सुनिश्चित की जाय। ग्राम सभा द्वारा सामाजिक अंकेक्षण सुनिश्चित किया जाय।	स्वीकृत	पंचायती राज विभाग ने ग्रामीण विकास विभाग से सामाजिक अंकेक्षण सोसाईटी की मदद से सामाजिक अंकेक्षण करने का अनुरोध किया है और नालंदा जिला में सामाजिक अंकेक्षण का कार्य चल रहा है।

(स्रोत: 5वीं राज्य वित्त आयोग का प्रतिवेदन और विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी जानकारी)

### परिशिष्ट-2.1

(संदर्भ: कांडिका -2.1, पृष्ठ-25)

अपूर्ण आंगनबाड़ी केन्द्रों की स्थिति को दर्शाती विवरणी

राशि ₹ में

क्रम संख्या	पंचायत समिति का नाम	वर्ष	आंगनबाड़ी केन्द्रों से संबंधित लिए गए योजनाओं की संख्या	अपूर्ण आंगनबाड़ी केन्द्रों की संख्या	कुल योजनाओं की प्राकलित राशि	अपूर्ण योजनाओं की प्राकलित राशि	अपूर्ण योजनाओं पर अप्रिम भुगतान	मापी पुस्तक के अन्सार किए गए कार्य का मूल्य
1.	पकड़ीबरवां (नवादा)	2010-16	24	6	12554600	3253200	2212000	2331858
2.	रामगढ़दौक (लखीसराय)	2010-16	4	1	1175600	587800	357500	243833
3.	बिहटा (पटना)	2010-16	36	15	22679000	9522000	6334936	4079386
4.	मनेर (पटना)	2010-16	9	4	5946800	2618800	1127894	953170
5.	गुरुआ (गाया)	2010-16	32	9	17920350	5357450	3455688	2948593
6.	बड़हिया (लखीसराय)	2010-16	12	2	6673200	1048800	765000	444050
7.	डोभी (गाया)	2010-16	20	5	24543200	2906700	1982500	1698437
	<b>कुल</b>		<b>137</b>	<b>42</b>	<b>91492750</b>	<b>25294750</b>	<b>16235518</b>	<b>12699327</b>
	<b>लंबित अप्रिम</b>				<b>16235518-12699327=3536191</b>			

(जोत: नमूना जाँचित इकाईयों द्वारा प्रदत्त सूचना)

### परिशिष्ट—3.1

(संदर्भ: कंडिका—3.3.2; पृष्ठ—30)

**शहरी स्थानीय निकायों द्वारा किए जाने वाले 18 कार्यों/विषयों की सूची को दर्शाती विवरणी**

क्र. सं.	बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा	कार्य / विषय
1.	290	नगर योजना को शामिल करते हुए शहरी आयोजना
2.	274 अ एवं 275	भूमि उपयोग व भवन निर्माण का विनियम
3.	45	आर्थिक एवं सामाजिक विकास के लिए योजना
4.	45	सड़कें एवं पुलें
5.	45 एवं 169—192	घरेलु, औद्योगिक एवं वाणिज्यिक उद्देश्यों हेतु जलापूर्ति
6.	45, 193—203 एवं 220—230	लोक स्वास्थ्य, स्वच्छता, संरक्षण एवं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन
7.	45, 250—261 एवं 262—268	शहरी वानिकी एवं वातावरण संरक्षण एवं पारिस्थितिकी पहलुओं को बढ़ावा देना
8.	287	दिव्यांग एवं मंदबुद्धि सहित समाज के कमज़ोर वर्गों के हितों का संरक्षण
9.	287 एवं 289	गंदी बस्ती का सुधार एवं उत्थान
10.	287	नगरीय निर्धनता उन्मूलन
11.	अध्याय 32	नगरीय सुविधाएं जैसे पार्क, बगीचे, खेल के मैदान का प्रावधान
12.	45	सांस्कृतिक शैक्षणिक एवं सौदर्यात्मक पहलुओं को बढ़ावा
13.	269—272 एवं 421	कब्र और कब्रिस्तान, दाह संस्कार, दाह संस्कार भूमि एवं विद्युत शवदाह गृह
14.	249 एवं 421	मवेशी के लिए तालाब; जानवरों के प्रति क्रूरता का निवारण
15.	352—353	जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण सहित महत्वपूर्ण ऑकड़े
16.	45	जन सुविधाएं जैसे गलियों में रोशनी, पार्किंग स्थल, बस स्टैण्ड एवं लोक सुविधाएँ
17.	245 एवं 421	कसाईखानों एवं चर्म उद्योगों का विनियम
18.	—	अग्निशमन सेवा

(स्रोत : बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 और संविधान की बारहवीं अनुसूची)

### परिशिष्ट-3.2

(संदर्भ: कांडिका 3.7.4, पृष्ठ-40)

बिहार के नगर निगमों द्वारा सेवा स्तर मानकों में निर्दिष्ट लक्ष्य एवं इसकी प्राप्ति की स्थिति को दर्शाती विवरणी

सूचक	मानक लक्ष्य	बाहर नगर निगमों द्वारा लक्ष्य प्राप्ति की स्थिति (प्रतिशत में)*											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		जलापूर्ति											
जलापूर्ति संयोजन की व्याप्ति	100%	उपलब्ध नहीं कराया गया	22	30	उपलब्ध नहीं कराया गया	14	उपलब्ध नहीं कराया गया	9	18	34	8	उपलब्ध नहीं कराया गया	
मीटिंग का विस्तार	100%	24 घंटे											
जलापूर्ति की निरंतरता													
जल उपभोग शुल्क के संग्रहण में दक्षता	90%												
ग्राहक शिकायतों के निवारण में दक्षता	80%												
शौचालय की व्याप्ति	100%												
मल व्यवस्था तंत्र की व्याप्ति	100%												
ग्राहक शिकायतों के निवारण में दक्षता	80%												
स्टॉम जल निकासी की व्यवस्था													
स्टॉम जल निकासी तंत्र की व्याप्ति	100%												
जल जमाव एवं बाढ़ की घटना	0%												
घरेलू स्तर पर व्याप्ति	100%	89	82	65	92	95	62	92	74	62	67	72	78
ठोस अपशिष्ट के संग्रहण में दक्षता	100%	80	62	45	72	75	42	72	54	42	47	52	58
नगरीय ठोस अपशिष्ट के पृथक्करण का विस्तार	100%	0	0	0	23	60	22	67	24	0	0	15	24
नगरीय ठोस अपशिष्ट के वैज्ञानिक तरिके से निपटान का विस्तार	100%	0	0	0	22	50	0	40	0	0	0	15	0
ग्राहक शिकायतों के निवारण में दक्षता	80%	38	20	15	27	25	25	32	12	15	18	22	42

(चोत : नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा प्रदत्त सूचना)

\*1. पटना 2. बिहारशरीफ 3. आरा 4. गया 5. मुजफ्फरपुर 6. बैगूसाराय 7. मुंगेर 8. पूर्णिया 9. कटिहार 10. छपरा 11. दरभंगा 12. भगलपुर

## परिशिष्ट—3.3

(संदर्भ: कंडिका 3.8.1.3; पृष्ठ-43)

## 35 शहरी स्थानीय निकायों की प्राप्ति एवं व्यय को दर्शाती विवरणी

(₹ लाख में)

विवरण	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
<b>राजस्व आय</b>					
(क) स्व सृजित आय	1522.07	2179.63	12850.65	14784.76	3426.88
(ख) नियत आय	284.66	176.31	10823.83	17075.03	917.62
(ग) राजस्व अनुदान	11885.73	11192.65	57913.36	71007.31	20395.74
(घ) अन्य आय / प्राप्ति	361.97	863.26	2315.49	5063.70	1222.20
<b>कुल</b>	<b>14054.43</b>	<b>14411.85</b>	<b>83903.33</b>	<b>107930.80</b>	<b>25962.44</b>
<b>राजस्व व्यय</b>					
(क) स्थापना	4206.79	5270.40	27311.26	27165.33	4016.24
(ख) कार्यक्रम	1811.09	2936.65	0	0	417.49
(ग) संचालन एवं अनुरक्षण	1095.85	1925.97	5316.37	17727.53	2028.42
(घ) वित्त / ब्याज	0.68	0.55	0.02	0.05	0.38
(ङ) अन्य	7330.70	9474.68	14798.24	12847.37	1886.70
<b>कुल</b>	<b>14445.11</b>	<b>19608.25</b>	<b>47425.89</b>	<b>57740.28</b>	<b>8349.23</b>
<b>पूँजी अनुदान</b>	<b>32216.58</b>	<b>34418.31</b>	<b>46637.67</b>	<b>139337.05</b>	<b>26757.05</b>
<b>पूँजीगत व्यय</b>					<b>36275.74</b>

(स्रोत : नगर विकास एवं आवास विभाग बिहार द्वारा प्रदत्त सूचना)

### परिशिष्ट-3.4 (अ)

(संदर्भ: कंडिका 3.8.3; पृष्ठ-45)

#### 14वीं वित्त आयोग अनुदानों की आहरण नहीं की गई राशियों को दर्शाती विवरणी

वर्ष	श.स्था.नि. का नाम	आवंटन सं०/तिथि	पत्र सं०/तिथि	आवंटित राशि (₹ में)	निकासी नहीं की गई राशि (₹ में)	श.स्था.नि. को विभागीय पत्र सं०/तिथि
2016-17	नगर परिषद्, औरंगाबाद	191/26.12.2016	167,168/2016-17	16295810	16295810	574/31.05.2017
	नगर परिषद्, जहानाबाद	120/75/25.01.2016	-	10945927	10945927	1298/17.08.2019
		120/75/25.01.2016	-	10945927	10945927	
		82/32/31.10.2018	-	11023015	11023015	
		82/32/31.10.2018	-	11023015	11023015	
2017-18	नगर परिषद्, मसौँढ़ी	82/31.10.18	-	6248836	6248836	398/30.06.2019
		82/31.10.18	-	6248836	6248836	
2018-19		120/25.01.2019	-	6205136	6205136	
		120/25.01.2019	-	6205135	6205135	
2017-18	नगर पंचायत, मोहनियां	82/31.10.2018	-	1972877	1972877	396/06.05.2019
		82/31.10.2018	-	1972876	1972876	
2018-19	नगर पंचायत, डुमरा	82/31.10.2018	-	3252383	3252383	428/25.05.2019
		120/25.01.2019	-	3229639	3229639	
2018-19	नगर पंचायत, गोगरी जमालपुर	82/31.10.18	-	8317662	8317662	205/03.07.2019
		120/25.1.19	-	8259494	8259494	
2018-19	नगर पंचायत, मढ़ौरा	120/25.1.19	-	7160802	7160802	393/24.07.2019
2015-16	नगर पंचायत, मेहसी	75,76/23.12.2015	-	2849004	2849004	1067/30.08.2019
2015-16	नगर परिषद्, गोपालगंज	75/23.12.2015	-	2576041	2576041	952/14.06.2017
		191/26.12.2015	-	4129063	4129063	
2015-16	नगर पंचायत, मैरवा	75/23.12.2015	-	2422625	2422625	800/25.10.2016
2019-20	नगर परिषद्, सुरसंड	120/25.01.2019	-	6559622	6559622	2016/29.11.2019
<b>कुल</b>				<b>137843725</b>	<b>137843725</b>	

(स्रोत : नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार द्वारा प्रदत्त सूचना)

## परिशिष्ट-3.4 (ब)

(संदर्भ: कंडिका 3.8.3; पृष्ठ-45)

5वीं राज्य वित्त आयोग अनुदानों की आहरण नहीं की गई राशियों को दर्शाती विवरणी

श.स्था.नि. का नाम	वर्ष	आवंटन सं० / तारीख	आवंटित राशि (₹ में)	निकासी नहीं की गई राशि (₹ में)	श.स्था.नि. को विभागीय पत्र सं० / तारीख
नगर निगम, मुंगेर	2017-18	354/29.03.2017 353/29.03.2017	42266800 6122361	42266800 6122361	511/06.03.2018
नगर परिषद्, मसौढ़ी	2017-18	21/10.07.2018	13242912 13242911	13242912 13242911	398/03.06.2019
	2018-19	15/03.07.2018	12949026 12949025	12949026 12949025	
नगर पंचायत, हिसुआ	2017-18	15/03.07.2018 21/10.07.2018	11459129 11719201	11459129 11719201	905/07.05.2019
नगर परिषद्, हाजीपुर	2017-18	353,354/ 29.03.2017	58938705	58938705	651/28.03.2018
नगर पंचायत, परसा बाजार	2017-18	353/29.03.2017 354/29.03.2017	8054594 1054722 5615713	8054594 1054722 5615713	450/20.09.2017
<b>कुल</b>			<b>197615099</b>	<b>197615099</b>	

(स्रोत : नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार द्वारा प्रदत्त सूचना)

### परिशिष्ट—3.5

(संदर्भ: कंडिका 3.8.6; पृष्ठ-46)

रोकड़ बही और पासबुक के बीच इकाई—वार अंतर को दर्शाती विवरणी

(₹ लाख में)

क्रम सं०	इकाई का नाम	रोकड़ बही अंतशेष	पासबुक अंतशेष	अंतर	टिप्पणियाँ
1	2	3	4	5(4-3)	6
1	नगर निगम, आरा	4159.64	4450.22	290.58	31 मार्च 2016 को
2	नगर निगम, बेगूसराय	7084.14	7203.70	119.56	31 मार्च 2017 को
3	नगर निगम, मुजफ्फरपुर	1551.66	1956.82	405.16	31 मार्च 2018 को
4	नगर परिषद्, औरंगाबाद	-	-	-	बैंक समाधान विवरणी नहीं बनाया गया
5	नगर परिषद्, खगड़िया	1896.04	1917.62	21.58	31 मार्च 2017 को
6	नगर परिषद्, नरकटिया गंज	2416.11	2459.38	43.27	31 मार्च 2017 को
7	नगर परिषद्, समस्तीपुर	2297.18	2318.83	21.65	31 मार्च 2017 को
8	नगर पंचायत, कसबा	-	-	112.95	23 मार्च 2017 को
कुल अंतर				1014.75	

(स्रोत : निरीक्षण प्रतिवेदन)

**परिशिष्ट—3.6**

(संदर्भ: कंडिका 3.8.7; पृष्ठ-47)

**समायोजित एवं असमायोजित ए.सी. बिलों की वर्षवार ब्यौरा को दर्शाती विवरणी**

वर्ष	ए.सी. बिल के तहत निकासी की गई राशि (₹ में)	महालेखाकार द्वारा समायोजित की गई राशि (₹ में)	असमायोजित राशि (₹ में)	असमायोजित राशि की प्रतिशतता
2003-04	917000	0	917000	100
2004-05	1078000	0	1078000	100
2005-06	200000	0	200000	100
2006-07	2852000	245752	2606248	91
2007-08	151337181	8121840	143215341	95
2008-09	238580	0	238580	100
2009-10	47084160	923562	46160598	98
2010-11	191259853	74187821	117072032	61
2011-12	2683400	0	2683400	100
2012-13	24854190	10553110	14301080	58
2013-14	625000	0	625000	100
2014-15	0	0	0	-
2015-16	0	0	0	-
2016-17	95850723	39047497	56803226	59
2017-18	1000000	619100	380900	38
2018-19	0	0	0	-
<b>कुल</b>	<b>519980087</b>	<b>133698682</b>	<b>386281405</b>	<b>74</b>

(स्रोत : नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार द्वारा प्रदत्त सूचना)

### परिशिष्ट—3.7

(संदर्भ: कंडिका-3.8.8; पृष्ठ-47)

#### लेखापरीक्षा के दौरान हुई वसूली को दर्शाती विवरणी

क्रम सं०	इकाई	रसीद के प्रकार	सुझाई गई वसूली की राशि (₹ में)	वास्तव में वसूल की गई राशि (₹ में)	वसूली की अवधि
1.	नगर परिषद्, बेतिया	एम रसीद (विविध रसीद)	1,10,780	1,10,780	सितम्बर 2017
2.	नगर परिषद्, फॉरबिसगंज	एम रसीद	7,515	6,885	नवम्बर 2016
3.	नगर परिषद्, हिलसा	एम रसीद	43,522	43,522	सितम्बर 2017
4.	नगर परिषद्, नवादा	एम रसीद	1,44,475	1,44,475	मई 2016
5.	नगर परिषद्, सहरसा	एम रसीद और एच रसीद	2,39,384	2,39,384	अप्रैल 2016
6.	नगर परिषद्, शेखपुरा	एम रसीद	2,04,259	2,04,259	अगस्त 2017
7.	नगर पंचायत, अमरपुर	एच रसीद	64,540	64,540	अप्रैल 2016
8.	नगर पंचायत, कांटी	एम रसीद	10,074	10,074	मई 2016
9.	नगर पंचायत, कटैया	एच रसीद	38,561	38,561	जून 2016
10.	नगर पंचायत, मुरलीगंज	आपदा अग्रिम	33,17,770	1,75,500	फरवरी 2016
11.	नगर पंचायत, नवगाछिया	एम रसीद और एच रसीद	74,685	74,685	अप्रैल—मई 2016
12.	नगर पंचायत, तेघड़ा	एम रसीद और एच रसीद	20,840	20,840	फरवरी 2016
<b>कुल</b>			<b>42,76,405</b>	<b>11,33,505</b>	

(स्रोत : निरीक्षण प्रतिवेदन)

## परिशिष्ट—4.1

(संदर्भ: कंडिका-4.1; पृष्ठ-49)

प्रत्येक पांच वर्ष में होल्डिंग के वार्षिक किराया मूल्य का पुनरीक्षण न करने के कारण हुई राजस्व हानि को दर्शाती विवरणी

(₹ करोड़ में)

क्रम सं०	नगर निगम का नाम	वर्ष	होल्डिंग्स की सं०	सम्पत्ति कर की वार्षिक वसूली	15 प्रतिशत पुनरीक्षण के बाद सम्पत्ति कर	सम्पत्ति कर की हानि
1	2	3	4	5	6	7 (6-5)
1.	बैगूसराय	2015-16	25,478	1.49	1.7135	0.2235
		2016-17	25,478	2.83	3.2545	0.4245
2.	छपरा	जनवरी 2014 से मार्च 2014	29,337	0.50	0.575	0.075
		2014-15	30,151	1.35	1.5525	0.2025
		2015-16	30,246	2.12	2.438	0.318
		2016-17	31,000	1.51	1.7365	0.2265
		2017-18	34,495	2.39	2.7485	0.3585
		2018-19	34,839	2.21	2.5415	0.3315
		2019-20	35,013	2.69	3.0935	0.4035
		जनवरी 2014 से मार्च 2014	12,709	0.41	0.4715	0.0615
3.	दरभंगा	2014-15	17,743	2.54	2.921	0.381
		2015-16	16,980	2.62	3.013	0.393
		2016-17	25,438	5.90	6.785	0.885
		2017-18	25,438	4.51	5.1865	0.6765
4.	मुंगेर	2018-19	25,643	6.67	7.6705	1.0005
		2019-20	25,905	5.65	6.4975	0.8475
		2016-17	25,438	5.90	6.785	0.885
		2017-18	25,438	4.51	5.1865	0.6765
5.	पटना	2018-19	25,643	6.67	7.6705	1.0005
		2019-20	25,905	5.65	6.4975	0.8475
		जनवरी 2014 से मार्च 2014	उपलब्ध नहीं	8.24	9.476	1.236
		2014-15	उपलब्ध नहीं	23.22	26.703	3.483
		2015-16	208981	34.27	39.4105	5.1405
		2016-17	223437	43.82	50.393	6.573
		2017-18	228808	48.01	55.2115	7.2015
6.	पूर्णिया	2018-19	186789	82.15	94.4725	12.3225
		2019-20	193635	60.83	69.9545	9.1245
		जनवरी 2014 से मार्च 2014	33,218	0.15	0.1725	0.0225
कुल						52.0335

(चोत : नमूना जाँचित नगर निगम द्वारा प्रदत्त सूचना)

### परिशिष्ट-4.2

(संदर्भ: कंडिका - 4.7; पृष्ठ-59)

विभिन्न श.स्था.नि. में जमा नहीं की गई नगरीय-राजस्व को दर्शाती विवरणी

(राशि ₹ में)

क्रम सं.	श.स्था.नि. का नाम	संग्रहण अवधि	कुल संग्रहित राशि	जमा राशि	जमा अवधि	कम जमा	संग्रहण शीर्ष
1	2	3	4	5	6	7 (4-5)	8
1.	नगर पंचायत झाझा	22.07.2016 से 21.08.2017 तक	261296	216782	01-12-17 से 19-01-18 तक	44514	होल्डिंग रसीद
2.	नगर पंचायत बेलसंड	08.05.2014 से 14.04.2017 तक	3426576	2902536	14-09-15 से 11-02-21 तक	524040	होल्डिंग रसीद एवं विविध रसीद
3.	नगर पंचायत कोइलवर	18.02.2013 से 28.01.2017 तक	2033395	1199550	02-04-13 से 24-09-14 तक	833845	विविध रसीद
4.	नगर परिषद् जमुई	27.03.2015 से 30.08.2017 तक	13291165	11657716	27-03-15 से 27-04-17 तक	1633449	होल्डिंग रसीद एवं विविध रसीद
		17.03.2016 से 03.10.2016 तक	35995	0	-	35995	विविध रसीद
	कुल		19048427	15976584		3071843	

(चोत : निरीक्षण प्रतिवेदन और नमूना जाँचित नगर निगम द्वारा प्रदत्त सूचना)

## परिशिष्ट—4.3

(संदर्भ: कंडिका - 4.8; पृष्ठ-60)

मशीनों के क्रय पर अनुत्पादक व्यय को दर्शाने वाला विवरण

क्रम सं०	दिनांक	चेक सं०	राशि (₹ में)	टिप्पणियां
1.	24.09.2015	000022	2490000	
2.	23.12.2015	₹732534	2490000	
3.	25.01.2016	₹732598	1967137	
4.	23.02.2016	₹731936	987225	वैट की राशि
5.	09.03.2017	-	365638	5 प्रतिशत एस. डी
<b>कुल</b>			<b>8300000</b>	

(चोत : निरीक्षण प्रतिवेदन और नमूना जाँचित इकाई द्वारा प्रदत्त सूचना)

